न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 37/2016

प्रार्थी –

1. भुराराम पुत्र वेनाराम जाति प्रजापत निवासी– पटेलों का बास, ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी –

1. पूना राम पुत्र भाकाराम जाति पटेल, निवासी पटेलों का बास, ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर जरिये सरपंच ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत लूणी मिसल संख्या 197 दिनांक 05.09.2009 को ग्राम पंचायत लूणी ने संकल्प 3 के द्वारा आदेश पारित किया तथा दिनांक 09.12.2009 आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी किया।

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री गोपालसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत एवं भंवरलाल चौधरी उपस्थित।

–:: **आ दे श** ::– **दिनांकः 15.12.2017**

प्रार्थी भूराराम पुत्र वेनाराम जाति प्रजापत निवासी पटेलों का बास, ग्राम लूणी जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत लूणी मिसल संख्या 197 दिनांक 05.09.2009 को ग्राम पंचायत लूणी ने संकल्प 3 के द्वारा आदेश पारित किया तथा दिनांक 09.12.2009 आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी किया को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई है। प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रस्तुत करने पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई । ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत लूणी, पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर से मूल रेकर्ड तलब किया गया

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक ही गांव के निवासी है तथा आपस में पडौसी भी है । प्रार्थी के पश्चिम दिशा में खाली बाडा आया हुआ था । इस खाले बाड़े पर प्रार्थी एवं प्रार्थी का भाई अपने पशु इत्यादि बांधने व घर का भारी सामान इत्यादि रखने के काम में लेते आ रहे है। इससे पहले प्रार्थी के पूर्वज बतौर मालिक काबिज थे व आज प्रार्थी एवं उसका भाई बतौर मालिक है। मार्च 2016 में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी के मकान के पास खाली पड़े बाड़े पर कब्जा करने की कुचेष्ठा की गई तब प्रार्थी ने अप्राार्थी से ऐसा

नहीं करने नहीं दिया तो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि उसके द्वारा ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर अपने भूखण्ड के साथ साथ इस बाड़े का पट्टा हासिल कर लिया। तब प्रार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत पट्टे की प्रति की मांग करने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को पट्टे की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्रार्थी ने अपने निगरानी में यह भी उल्लेख किया है कि जून 2016 के अंतिम सप्ताह में प्रार्थी परिवार सहित बाहर रिश्तेदारी में गया हुआ था तो पीछे के अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौका पाकर प्रार्थी का बाड़ा हटाकर चारदिवारी का निर्माण कर दिया। इसकी जानकारी प्रार्थी को वापस अपने गांव आने पर प्राप्त हुई। प्रार्थी ने अपने निगरानी में यह भी उल्लेख किया है कि विक्रय विलेख फोटो प्रति के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है कारण कि उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को आदेश विधि विधान संचिका आलेख के तथ्यों के विरूद्व न्याय के विपरित व कानूनन व इंसाफन गलत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य बताया। उन्होनें यह भी कथन किया कि राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 145 के तहत क्रेता ग्राम पंचायत के समक्ष भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश करेगा। आवेदन पत्र में भूमि का चिन्हित करेगा कि कौन सी भूमि का पट्टा जारी करवाना चाहता है। अपने प्रार्थना पत्र के साथ खर्चा नक्शा रूपये 25/— रूपये जमा करवाना तथा ग्राम सचिव नक्शा तैयार करेगा, मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थिति में ही नक्शा तैयार करेगा परन्तु अप्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया है उसमें अप्रार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नियम 145 के तहत भूखण्ड प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है। उन्होनें यह भी कथन किया कि न्यायालय ने राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 146, 148 की पालना नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय विलेख नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है परन्तु उक्त विक्रय विलेख के अन्दर नियम 157(ख) के तहत पुराने गृह विनियमितीकरण के तहत जारी करना बताया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का इतने बड़े क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई पुराना मकान नहीं था व ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि पंचायत के आदेश एवम संकल्प के विरूद्व धारा 61 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में पंचायत समिति के समक्ष अपील की जा सकती है। अतः जिस आदेश के विरूद्व अपील की जा सकती है उसके विरूद्व सीधी निगरानी पोषनीय नहीं है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के साथ विक्रय विलेख

की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है जबकि राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मेन्युल भाग 2 के नियम 30 के अनुसार अपील/निगरानी के साथ आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश किया जाना आवश्यक है, इस आधार पर निगरानी खारिज किये जाना योग्य बताया है।

अप्राथी संख्या 1 के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विक्रय विलेख की शुरू से जानकारी थी लेकिन उसने अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से 6 साल की अधिक देरी से गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्राथी संख्या 1 के रहवासीय मकान के पूर्व दिशा में मकान आया हुआ है लेकिन कोई रहवासीय बाड़ा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के मकान पश्चिम में ग्राम पंचायत की खाली भूमि आयी हुई है। इस पर प्रार्थी व उसके भाई अतिक्रमण नहीं कर सके, इससे नाराज होकर अप्रार्थी के पट्टे के विरूद्व निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पुश्तैनी भूखण्ड पर बने रहवासीय मकान का पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी ने रहवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और इस पट्टे वाली भूमि का निरीक्षण तीन पंचो ने मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को पेश की। ग्राम पंचायत को पुश्तैनी कब्जाशुदा भूखण्ड पर निर्मित मकान का पट्टा देने का अधिकार है और अप्रार्थी संख्या 1 को 1181.05 वर्गगज के भूखण्ड पुश्तैनी कब्जा एवम मकान निर्मित होने से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियमों के तहत की विक्रय विलेख जारी किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर मौजूद रेकर्ड तथा उभय पक्षकारन के विद्धवान अभिभाषकगण की बहस का मनन किया गया।

ग्राम पंचायत लूणी अप्रर्थी संख्या 1 से सम्बन्धित मूल पट्टा पत्रावली, बैठक कार्यवाही रजिस्टर तथा जारी पट्टा संख्या 198 की कार्यालय प्रति का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा सं0 198 दिनांक 09.12.2009 का ग्रम पंचायत लूणी द्वारा नियम 157 (ख) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत पुराने गृह के नियमितिकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत 1181.05 वर्गगज का पट्टा विलेख जारी किया गया है। पट्टा पत्रावली पर मौजूद अप्रार्थी संख्या 1 के शपथपत्र में 1181.05 वर्गगज के भूखण्ड पर पिढियों से कब्जा दर्शाया गया है। आबादी भूमि में पुराने गृह का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त पट्टा से संबंधित पंचगणों के निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 05.09.2009 में भी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि दर्शायी गयी है। किसी पुराने गृह का उल्लेख नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम पंचायत लूणी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 198 जारी किया गया जो नियम 157(ख) के अनुसार जिस व्यक्ति के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो तथा पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहता है तो 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रु जमा कराकर पट्टा प्राप्त कर सकता है।

नियम 157 पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत को

खाली भूखण्ड के कब्जे के आधार पर पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि पट्टा संख्या 198 जारी होते समय अप्रार्थी संख्या 1 का ग्राम पंचायत की विवादास्पद भूमि पर नियम 157(ख) के अनुसार 50 वर्ष के दौरान पुराना मकान बना हो।

: आदेश :

ग्राम पंचायत लूणी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 198 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के प्रावधानों के विरुद्ध जारी किया जाना पाया जाता है। निगरानी अंदर मियाद सुमार मानी जाकर निगरानी स्वीकार की जाकर **SEC 97** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 श्री पुनाराम पुत्र भाकर राम निवासी लूणी को ग्राम पंचायत लूणी द्वारा पट्टा संख्या 198 दिनांक 09.12.2009 का एहत् द्वारा निरस्त किया जाता है।

ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड मय निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांकः 15.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।